

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/55

प्रार्थीया-वसीयतकर्ता श्रीमती शकुन्तला रानी पत्नी ओम प्रकाश बतरा जाति अरोडा निवासी 286 मुकर्जी नगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत एक बन्द वसीयत सिल्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखा जावे।

प्रार्थीया को गवाहान रजनीश चौहान पुत्र कैलाश चन्द्र एवं राजेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज ने पहचाना है। प्रार्थीया एवं गवाहों की शिनाख्त श्री सुभाष मिढढा अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है एवं वकालतनामा पेश किया है।

अतः नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा सेफ कस्टडी में रखे जाने के आदेश हेतु प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

this